राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 363/2024

डॉ0 वीरपाल सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेंस केन्द्र, राजकीय रामचन्द्र पॉलि. महाविद्यालय के पास, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 27.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर राजकीय रामचन्द्र पॉलि. महाविद्यालय, जयपुर में पदस्थापित है और वह इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस केन्द्र, जयपुर में उप निदेशक (प्रशिक्षण/कार्यव्यवस्थार्थ) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ निरस्त कर राजकीय पॉलि. महाविद्यालय, उच्चैन 300 कि.मी. दूर किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को उप सचिव (प्रशासन) द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 27.01.2009 (अनुलग्नक–3) द्वारा व्याख्याता, रसायन विज्ञान के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.01.2019 (अनुलग्नक–4) द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.03.2019 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ के तहत सीईजी, जयपुर में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी

को आदेश दिनांक 08.03.2019 (अनुलग्नक–6) द्वारा सीईजी, जयपुर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश 21.06.2021 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी को सी.ई.जी., जयपुर में उप निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में पोस्टिंग दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.2023 को एल.एल.बी. के अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया, जिसके तहत उसे एक मौखिक आश्वासन दिया गया था कि उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि वह किसी भी तरह का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा और उसे फीस वहन करनी होगी और उक्त आश्वासन के बाद उसने कॉलेज में फीस जमा कर दी और प्रवेश ले लिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एल.एल.बी. अध्ययन की अनुमति पत्र दिनांक 19.10.2023 द्वारा भी जारी कर दी गई। इस शर्त पर प्रदान की कि उन्हें सेवा में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा (अनुलग्नक–8 से 10)। अध्ययन सत्र के बीच 300 कि.मी. दूर स्थानान्तरण कर दिया गया है। अपीलार्थी की पत्नी वर्तमान में राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान, शिक्षा विभाग, जयपुर में पदस्थापित है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति है कि यदि पति/पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हैं, तो उन्हें एक ही शहर में या जितना संभव हो सके उतना करीब पदस्थापित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी की पत्नी का पहचान पत्र अनुलग्नक–11 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का बेटा आईआईटी–जेईई की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने एलन करियर इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया है जो कि शुल्क रसीद से स्पष्ट है (अनुलग्नक–12)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलौच्य आदेश विवेक का प्रयोग किए बिना एवं राज्य की स्थानान्तरण नीति के विपरीत जारी किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा स्थानान्तरण राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर (कार्यव्यवस्थार्थ सीईजी. जयपुर) से नवसृजित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उच्चैन में छात्रों का शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने तथा उच्चैन में प्रवक्ता रसायन शास्त्र का 01 ही पद होने के कारण पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित में नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है। इसमें किसी प्रकार की अवैधता, नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना नहीं है। अपीलार्थी को एलएलबी की अनुमति विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2023 द्वारा सेवा में किसी प्रकार का लाभ नही दिये जाने की शर्त के अध्यधीन दी गयी है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि उच्च अध्ययन एलएलबी पूर्ण किये जाने पर विभाग को किसी प्रकार लाभ नहीं है एवं न ही छात्रों के शैक्षणिक स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि होगी।

अतः नवसृजित संस्थान उच्चैन में छात्रों के हितार्थ शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होने के दृष्टिगत प्रशासनिक कारणों से किया गया स्थानान्तरण उचित है। प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 18.06.1999 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति नियम–04 के अनुसार पति–पत्नी दोनो को एक ही जगह पर रखा जाना अनिवार्य नही है अपितु प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के बच्चे का अध्ययन जयपुर में होने से जयपुर में ही पदस्थापन रखे जाने का नियमों में प्रावधान नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलि. महाविद्यालय, जयपुर (कार्यव्यवस्थार्थ सी.ई.जी. जयपुर) से कार्यव्यवस्थार्थ निरस्त कर राजकीय पॉलि. महाविद्यालय, उच्चैन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर सन् 2019 से कार्यरत है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के पारित किया गया है। अपीलार्थी को एलएलबी की अनुमति विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2023 द्वारा सेवा में किसी प्रकार का लाभ नही दिये जाने की शर्त के अध्यधीन दी गयी है। उच्च अध्ययन एलएलबी पूर्ण किये जाने पर विभाग को किसी प्रकार लाभ नहीं है एवं न ही छात्रों के शैक्षणिक स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि होगी। अतः आलोच्य आदेश में कोई विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है साथ ही नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना भी नजर नहीं आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल अवधि स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)